

बिहार सरकार  
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय,  
गृह विभाग।

प्रेषक,

राजीव वर्मा,  
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक०),  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 30-3-2016

विषय:- राज्य योजना 2015-16 के अन्तर्गत मांग सं० 22 के अधीन मुख्य शीर्ष-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-052-मशीनरी तथा उपस्कर, उप शीर्ष-0101- काराओं के संयंत्रों हेतु, विपत्र कोड-P 4070000520101 राज्य योजना स्कीम कोड-HOM- 5424, विषय शीर्ष-52 01- मशीनें एवं उपस्कर के अन्तर्गत ₹1,33,70,585 (एक करोड़ तैंतीस लाख सत्तर हजार पाँच सौ पचासी रूपये) की लागत पर राज्य की काराओं में 4948 अद्द बिजली के पंखों के अधिष्ठापन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजना 2015-16 के अन्तर्गत मांग सं० 22 के अधीन मुख्य शीर्ष-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-052-मशीनरी तथा उपस्कर, उप शीर्ष-0101- काराओं के संयंत्रों हेतु, विपत्र कोड-P 4070000520101 राज्य योजना स्कीम कोड-HOM- 5424, विषय शीर्ष-52 01- मशीनें एवं उपस्कर के अन्तर्गत ₹1,33,70,585 (एक करोड़ तैंतीस लाख सत्तर हजार पाँच सौ पचासी रूपये) की लागत पर राज्य की काराओं में 4948 अद्द बिजली के पंखों के अधिष्ठापन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प सं० 96वि०(2) दिनांक-03.01.2008 की कंडिका 4(क) के आलोक में दी जाती है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत कुल राशि ₹1,33,70,585 (एक करोड़ तैंतीस लाख सत्तर हजार पाँच सौ पचासी रूपये) का व्यय राज्य योजना अन्तर्गत मांग सं० 22 के अधीन मुख्य शीर्ष-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-052-मशीनरी तथा उपस्कर, उप शीर्ष-0101-काराओं के संयंत्रों हेतु, विपत्र कोड-P 4070000520101 स्कीम कोड- HOM- 5424, विषय शीर्ष-52 01-मशीनें एवं उपस्कर के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं अगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट उपबंधित राशि के अधीन विकलनीय होगा।

3. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक कारा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय होंगे तथा वित्त विभाग के स्थायी अनुदेश ज्ञापांक-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.1998 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राशि की अग्रिम निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7312 दिनांक-21.08.2015 के आलोक में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्य अभियंता (विद्युत), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाएगा।

4. स्वीकृत योजना के लिये आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।


5. योजना की स्वीकृति के प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, गृह विभाग द्वारा संचिका सं०-कारा/भवन-155/07 के टिप्पणी पृ०-58/टि० पर दिनांक-16.03.2016 को अनुमोदन दिया गया है।

6. स्वीकृत्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं० कारा/भवन-155/07 के टिप्पणी पृ०-60/टि० पर दिनांक-30.03.2016 को दी गई है।

7. योजना के गुणवत्तापूर्ण एवं ससमय कार्यान्वयन का दायित्व मुख्य अभियंता (विद्युत) भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का होगा, जो निर्धारित अवधि में कार्य की पूर्णता सुनिश्चित कराकर आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोगिता प्रतिवेदन महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, पटना को उपलब्ध करायेगें।

8. उक्त स्वीकृत्यादेश के आधार पर निकासी से पूर्व महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

  
30.3.16

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक(प्र०)।

पटना, दिनांक 30-3-2016

ज्ञापांक:- कारा/भवन-1929

प्रतिलिपि:-सहायक कारा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कारा अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
30.3.16

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक(प्र०)।

पटना, दिनांक 30-3-2016

ज्ञापांक:- कारा/भवन-1929

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संयुक्त निदेशक, गृह (आरक्षी) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
30.3.16

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक(प्र०)।

पटना, दिनांक 30-3-2016

ज्ञापांक:- कारा/भवन-1929

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता (विद्युत), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
30.3.16


संयुक्त सचिव-सह-निदेशक(प्र०)।

ज्ञापांक:- कारा/भवन-1929

पटना, दिनांक 30-3-2016

प्रतिलिपि:-आईटी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. स्वीकृत्यादेश की प्रति संबंधित विभागों को अनिवार्य रूप से Online/E-mail पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

  
30.3.16

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक(प्र०)।